न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. सम्पत सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रघुनाथ सिंह
4. डाल सिंह
5. उदय सिंह
6. भंवरी देवी
7. स्लोचना कंवर
8. संतोष कंवर

पुत्र/ पुत्रींयान श्री रामचन्द्र सिंह चौहान
जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 10
रतननगर तह. व जिला चुरू

.....वादीगण

बनाम

1. विमला देवी बेवा मनीशंकर
2. कृष्ण कुमार
3. शुभकरण
4. बीरबल
5. देवीदत्त
6. गिरधारी
7. इमरती
8. मुन्नी
9. गीता
10. सुशीला

पुत्र/ पुत्रीयां मनीशंकर जाति ब्राहम्ण
निवासी लालासर पट्टा राजपुरा, जिला चुरू

11. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188,189, 92ए आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक 19/12/2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि उसके पिता रामचन्द्र सिंह ने जरिये इकरारनामा चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 में कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादीगण के पिता मनीशंकर पुत्र रामकुमार ब्राहम्ण के नाम पुख्ता आंवटित थी, को जरिये इकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को खरीद किया और इसी रोज सौदा की राशि 21000 रूपये अखरे अदा कर इकरारनामा और मुक्तयारनामा लिखित कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया तथा भूमि का भौतिक कब्जा वादीगण के पिता को सौंप दिया। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एव हम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा सम्पूर्ण प्रतिबल अदा कर दिया गया है। तमाम किश्ते राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादीगण के पिता से सम्पर्क किया कि वह खातेदारी हेतु कार्यवाही करें तो प्रतिवादीगण के पिता ने जानबूझकर बईमानी से टाल–मटोल करते रहे।

19/12

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला–बीकानेर)

प्रतिवादीगण के पिता कानूनन वादीगण के पक्ष में बैयनामा निष्पादित करवाने हेतु बाध्य थे। दिनांक 05.07.2015 को रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया उसके पश्चात प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो गयी। प्रतिवादीगण ने वारिसान की हैसियत से अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया, अब प्रतिवादीगण अन्य पक्षकार को कृषि भूमि बेचकर वादीगण को बेदखल करना चाहते है।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादीगण बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद स्वयय खारिज किया जावे।

वकील वादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 3 शुभकरण द्वारा दिनांक 07.07.2017 को वादीगण द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/67 में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादीगण को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादीगण ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादीगण को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने जरिये ईकरारनामा वादीगत कृषि भूमि चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 के कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता से खरीद की है। खरीद करने का वाद–पत्र में अंकन है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद–पत्र श्रवणीय क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

19/12

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला